

Letter No:- 594 /81-6-2024(1757946)

From,

Dinesh Kumar Singh,
Under Secretary,
Environment, Forest & Climate Change Department,
Government of Uttar Pradesh.

To.

The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Branch, New Delhi.

E-mail: judicial-ngt@gov.in

Environment, Forest & Climate Change Section-6

Lucknow: Dated: 26 April,2024

Sub: Response on behalf on Respondent No-2, State of Uttar Pradesh in compliance to the order dated 14-12-2023 passed by The Hon'ble Tribunal in Original Application no 562 of 2023 in Varun Gulati vs Environment, Forest and Climate Change, Department, Govt. of U.P. & Ors.

Sir,

That in pursuance to the Order dated 14-12-2023 passed by this Hon'ble Tribunal regarding the subject matter the response on behalf of the respondent no-2, State of Uttar pradesh, is filed before you with a request that the same may be placed before the Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal and necessary action.

Encl:-As above.

Yours Sincerely,

Digitally Signed by दिनेश
कुमार सिंह
Date: 26-04-2024 13:03:13
Reason: Approved

(Dinesh Kumar Singh)
Under Secretary

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 562 of 2023

IN THE MATTER OF:

Varun Gulati

.....Applicant

Versus

Environment, Forest and Climate Change
Department, Govt. of U.P. & Ors.

.....Respondent(s)

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO.-2, STATE OF UTTAR
PRADESH, IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 14.12.2023 PASSED BY
THE HON'BLE TRIBUNAL.

Sir,

The respondent no.-2, State of Uttar Pradesh, most respectfully stated as under;

1- That vide its order dated 14.12.2023 this Hon'ble Tribunal has passed the following directions;

.....

4. *The proceedings before this Tribunal cannot be treated as part of adversarial litigation where the concerned defendants may opt out to remain absent and suffer ex-parte proceedings. On the other hand, the State and its instrumentalities are under constitutional and statutory obligations to ensure compliance with environmental norms and, therefore, the State and its instrumentalities have to ensure submission of their replies/response with relevant details and also their representation through duly authorised representatives/Counsel before this Tribunal. In the present case, State of Uttar Pradesh has not filed any response and has not taken any steps for its representation before this Tribunal through its Counsel. We consider it appropriate that the matter be brought to the notice of the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and*

also learned Advocate General, Uttar Pradesh for issuance of appropriate instructions for compliance with notice issued by this Tribunal and submission of reply/response and ensuring representation through duly authorized representative/counsel before this Tribunal, as may be required.....

- 2- That till year 2010 the vacant posts in Uttar Pradesh Pollution Control Board, hereinafter referred as UPPCB, under Group-B, Group-C and Group-D was filled in accordance to the Uttar Pradesh Pollution Control Council Service Regulations 1995.
- 3- That the UPPCB vide its letter 12.04.2018 has requested to the government for granting permission regarding for filling of all the posts of Group-B in the UPPCB by the Uttar Pradesh Public Service Commission, Allahabad. A true copy of the letter dated 12.04.2018 is being annexed herewith as **Annexure No.-1** to this response.
- 4- That subsequently, in pursuance to the above said letter dated 12.04.2018, the Environment Section-I, State of Uttar Pradesh has given no objection vide its letter dated 07.08.2018, that the direct recruitment on the vacant posts of Grade-B, i.e. Assistant Environmental Engineer, Assistant Scientific Officer and Public Relation Officer, created in accordance to the appendix of the Service Regulations, 1995, with the UPPCB and posts fallen vacant in further future, is to be filled by Uttar Pradesh Public Service Commission (Delimitation of Functions) Regulations 1954. A true copy of the letter

dated 07.08.2018 is being annexed herewith as **Annexure No.-2** to this response.

- 5- That further with reference to the no-objection given by the Environment Section-I, State of Uttar Pradesh the UPPCB has requested to the Uttar Pradesh Public Service Commission, Prayagraj regarding filling up the direct recruitment vacant posts vide its letter no.- H31871/A.S.Camp(27)/2016-19 dated 24.01.2019. A true copy of the letter dated 24.01.2019 is being annexed herewith as **Annexure No.-3** to this response.
- 6- That for filling up the 100 posts lying vacant in the category of Group-C, under direct recruitment i.e. Junior Engineer, Legal Assistant, Accountant/Auditor, Stenographer, Librarian and Computer Operator Grade-B, forwarded by UPPCB to the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission vide letter dated 07.11.2016. A true copy of the letter dated 07.11.2016 is being annexed herewith as **Annexure No.-4** to this response.
- 7- That the State of Uttar Pradesh, in pursuance to the request of UPPCB letter dated 15.03.2018, refer to the Uttar Pradesh Public Service Commission for completing the selection process for recruitment to the posts of Junior Engineer, Legal Assistant, Accountant/ Auditor, Stenographer, Librarian and Computer Operator Grade-B, Monitoring Assistant and Computer Operator Grade-A.

- 8- That Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission has informed vide its letter no.-80/319/चार/309/2018 dated 07.05.2019, that they have published the advertisement for the recruitment of 43 vacant posts of Junior Engineer vide Publication No.- 04-परीक्षा/2018. A true copy of the letter dated 07.05.2019 is being annexed herewith as **Annexure No.-5** to this response.
- 9- That Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, Lucknow vide letter no. 187/612/चार/3509/2018 dated 15.10.2020 has directed to provide revised requisition on the new format regarding the vacancies for direct recruitment of Grade-C in accordance to the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Economically Weaker Sections) Act-2020. The Environment, Forest and Climate Change, Section-6 in context of the office memorandum dated 13.08.2019 issued by Uttar Pradesh Government vide letter no. 796/81-6-2020 dated 19.01.2021 for selection on vacant posts, revised requisitions for various 57 posts on the new format were sent to Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, Lucknow. A true copy of the letter dated 15.10.2020 and 19.01.2021 are being annexed herewith as **Annexure No.-6** and **Annexure No.-7** to this response, respectively.
- 10- That regarding the above requisitions and various Government orders related to Empowerment of Persons with Disabilities, Section-3, Government Order dated 30.07.2021 and Government Order dated 07.01.2021, issued by Government of Uttar Pradesh, discussions were held in Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, Lucknow on 02.04.2022, as well as with reference to the reservation for

1/549129/2024

309

excellent sports persons, revised requisitions on the prescribed format were sent through separate letters by UPPCB for total of 114 vacancies on various posts of direct recruitment, excluding 43 advertised posts of Junior Engineer.

11- That in pursuance to the above, the details of the requisition/revised/available requisition has been sent by UPPCB to the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, Lucknow for selection on the various posts of Group-C are as follows:

S.No.	Post	Requisite No. of Posts	Letter No. and Date
1.	Junior Engineer	43	G28295/A.S.Camp-27/2018 dated 12.09.2018 (Exam Held and Result Declared)
		08	Special Requisition to be sent through e-requisition portal in October, 2023
		10	General Requisition to be sent through e-requisition portal in November, 2023
2.	Accountant/Auditor	21	Requisition to be sent through e-requisition portal in December, 2023
3.	Monitoring Assistant	26	No.-G40484/ASCamp-27(B)/2023 dated 10.04.2023
4.	Junior Assistant	21	No.-G40479/ASCamp-27(B)/2023 dated 10.04.2023
5.	Legal Assistant	05	The requisition will be sent through e-requisition portal in November, 2023
6.	Librarian	01	The requisition will be sent through e-requisition portal in November, 2023
7.	Computer Operator Grade-B	03	No.-G40764/ASCamp-27(B)/2023, dated 22.05.2023
8.	Computer Operator Grade-A	05	No.-G40763/ASCamp-27(B)/2023, dated 22.05.2023
9.	Lab Assistant	01	Sent through e-procurement portal in the month of September, 2023.
Total		144	

- 12- That it is submitted that in addition to above, the requisition were also sent by UPPCB vide letter dated 10.04.2023 for 27 posts of Stenographer and 05 posts of Scientific Assistant, which has been returned by the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, in original form, through separate letters dated 07.07.2023.
- 13- That the direct recruitment on the vacant posts of Class-IV is stopped in accordance to the letter no. 647/55-343 (Environment)/2010, dated 23.03.2011 of Environment Section, Government of Uttar Pradesh. A true copy of the letter dated 23.03.2011 is being annexed herewith as **Annexure No.-8** to this response.
- 14- That it is submitted that, the proposal has been received from the UPPCB regarding to Special Secretary, Government of Uttar Pradesh taking necessary steps for requesting Additional Chief Secretary, Energy, Government of U.P. for recruitment of vacant posts through Uttar Pradesh Electricity Service Commission vide letter no.-G40696/A.S. Camp/2023 dated 11.05.2023 and letter no.-G41693/A.S. Camp/2023 dated 27.09.2023. A true copy of the said letters is being annexed herewith as **Annexure No.-9** and **Annexure No.-10** to this response, respectively.
- 15- That it is also necessary to mention here that with reference to the above said letters, contained as annexure no.-9 and annexure no.-10 to this response, the Respondent No.-2, State of Uttar Pradesh, vide its letter no.-489/81-6-2024(1755422) dated 01.04.2024 given approval/permission regarding filling up the vacant posts under Grade-B

311

through Uttar Pradesh Public Service Commission and Grade-C through Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission in accordance with the law. A true copy of the letter dated 01.04.2024 is being annexed herewith as **Annexure No.-11** to this response.

Therefore, the response of Respondent No.-2, State of Uttar Pradesh, is being filed for kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Yours' Sincerely

Digitally Signed by दिनेश

कुमार सिंह

Date: 26-04-2024 13:01:51

Reason: Approved

(Dinesh Kumar Singh)
Under Secretary

127087/32/2018/90

12-4-18

सेवा में,

अनु सचिव,
पर्यावरण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषय : बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली-2017 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दि0-31 अगस्त, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई है। उक्त नियमावली के नियम-4 में अवर स्तरीय पदों पर, सीधी भर्ती में, संगत सेवा नियमावली में चयन प्रक्रिया में विहित साक्षात्कार की व्यवस्था बंद कर दी जायेगी और ऐसी बंदी पर:-

- (क) जहाँ अवर स्तरीय पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया केवल साक्षात्कार के आधार पर विहित है, वहाँ ऐसा चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।
- (ख) जहाँ चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए पृथक अंक विहित हैं, वहाँ साक्षात्कार के अंकों को, लिखित परीक्षा हेतु विहित अंकों में सम्मिलित कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के लिए उपबन्ध न होने की दशा में, साक्षात्कार के लिए विहित अंकों को, लिखित परीक्षा के लिए विहित अंक माना जायेगा।
- (ग) जहाँ चयन हेतु कौशल परीक्षण या तकनीकी परीक्षा आवश्यक हो वहाँ ऐसे परीक्षण/परीक्षा हेतु चिन्हित अंक केवल अर्हकारी होंगे और ऐसे अंक सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया में नहीं जोड़े जायेंगे।
- (घ) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अवर स्तरीय पद पर चयन के लिए विज्ञापन किया जा चुका है और चयन प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसा चयन अप्रभावित रहेगा और इस निमित्त जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार चयन किया जायेगा।
- (ङ) यदि विशेष परिस्थितियों में सरकार का प्रशासकीय विभाग किसी विशिष्ट अवर स्तर पद पर चयन हेतु साक्षात्कार को विहित किया जाना न्यायोचित पाता है तो प्रशासकीय विभाग सरकार के कार्मिक विभाग को समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जो ऐसे प्रस्ताव पर सुविचारित निर्णय लेगा।

उक्त अधिसूचना के नियम-5 में उल्लिखित है कि नियम-4 के उपबन्धों के अधीन संगत सेवा नियमावली में अंतर्विष्ट अन्य उपबन्ध अप्रभावित रहेंगे।

बोर्ड की प्रख्यापित "उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995" के परिशिष्ट में सृजित पदों, पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-598/55-पर्या-2009-346 (पर्या)2008, दि0 09.06.2009 द्वारा बोर्ड के कम्प्यूटर प्रकोष्ठ हेतु सृजित अस्थायी पदों में समूह-"ख", "ग" एवं "घ" के सीधी भर्ती के पदों में से समूह-"ग" के आशुलिपिक एवं टंकक-लिपिक के पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों पर सीधी भर्ती हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया निहित है।

कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दि0-31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 में निहित नियमों के प्ररिप्रेक्ष्य में बोर्ड की सेवा विनियमावली, 1995 में सीधी भर्ती हेतु निहित साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए, उक्त नियमावली को बोर्ड अध्यक्ष की अनुमति से अंगीकृत कर, बोर्ड के समूह-"ग" के वेतन बैण्ड-1 (रूपये 5200-20200) ग्रेड पे रू0 1900/- वेतन मैट्रिक्स की लेबल-2 एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू0 4600/- वेतन मैट्रिक्स की लेबल-7 से कम के सीधी भर्ती के अवर अभियंता, विधि सहायक, लेखाकार/लेखापरीक्षक, आशुलिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी के पदों पर भर्ती हेतु संशोधित अधियाचन एवं अनुश्रवण सहायक तथा कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों हेतु अधियाचन (निर्धारित प्रारूप पर) पृथक-पृथक (अपेक्षित प्रपत्रों सहित) पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के माध्यम से उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है।

2- बोर्ड की 96वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-96.08 पर बोर्ड में सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने पर विचार किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 03.08.2016 एवं पत्र दिनांक 16.12.2016 द्वारा बोर्ड में समूह-"ख" के वेतन बैण्ड-3 (रूपये 15600-39100) ग्रेड पे रू0 5400/- वेतन मैट्रिक्स की लेबल-10 के सीधी भर्ती के "सहायक पर्यावरण अभियन्ता" एवं "सहायक वैज्ञानिक अधिकारी" की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहमति एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त के संबंध में की जाने वाली नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही, शुल्क आदि के पूर्ण विवरण (समस्त वांछित प्रपत्रों/दिशा-निर्देशों सहित) से यथाशीघ्र अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त के संबंध में लोक सेवा आयोग के पत्र दि0 03.05.2017 द्वारा बोर्ड के प्रश्नगत पदों को आयोग की परिधि में लाये जाने के प्रस्ताव पर शासन से सहमति प्राप्त कर, संशोधित प्रस्ताव एवं संगत सेवा नियमावली में यथापेक्षित संशोधन के लिए नियमावली आलेख्य का प्रस्ताव भी आयोग की सहमति हेतु

...3/

(3)

उपलब्ध कराये की अपेक्षा की गयी है, ताकि महामहिम राज्यपाल के अनुमोदनोपरान्त प्रख्यापित नियमावली के आलोक में आयोग द्वारा उक्त पदों पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जा सके। लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के पत्र दि० 03.05.2017 के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-"ख" के समस्त पदों -सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से सम्पन्न कराये की शासकीय अनुमति प्राप्त की जानी है।

कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन की अधिसूचना दि०-31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 को बोर्ड द्वारा अंगीकृत किए जाने की कार्यान्तर स्वीकृति एवं बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-"ख" के समस्त पदों -सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से सम्पन्न कराये जाने संबंधी प्रस्ताव बोर्ड की 100वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-100.09 पर प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इस संबंध में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव एवं उस पर लिये गये निर्णय की सत्यापित प्रति संलग्न हैं।

अनुरोध है कि प्रस्तावानुसार कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन की अधिसूचना दि०-31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 को बोर्ड द्वारा अंगीकृत किए जाने एवं बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-"ख" के समस्त पदों-सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से सम्पन्न कराये जाने की शासकीय अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।


(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

330
मुख्य परीक्षा अधिकारी

पत्रांक 1401

/ एम एस केम्प/20

दिनांक 1-8-18

संख्या-1353/55-पर्या-1-2018-125 (पर्या)/17

सेवा में,

भारत प्रसाद,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

प्रेषक,

सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक: 07 अगस्त 2018

विषय:-बोर्ड द्वारा उ०प्र० अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना)
नियमावली -2017 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं०-जी-27087/32/2018/90, दिनांक 12.04.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

- 2- उक्त के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उ०प्र० अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 अधिसूचना संख्या-4/2017 /1/1/2017-का-2, दिनांक 31.08.2017 कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना दिनांक 31.08.2017 के माध्यम से अवर स्तरीय पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है। अतएव उक्त के दृष्टिगत कार्मिक अनुभाग-2 की उक्त संदर्भित अधिसूचना दिनांक 31.08.2017 को अंगीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- 3- मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-ख के समस्त पदों-सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्यक् अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिशीलन) विनियम, 1954 का परीक्षण करने के उपरान्त यदि उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहमत है, तो ऐसे समस्त पदों पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग से कराये जाने के संबंध में सैद्धान्तिक अनापत्ति प्रदान की जाती है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भारत प्रसाद)

अनु सचिव।

CEO (Admin)

07/08/18

EE (Admin) AD
1/1/18
07/8/18

1131871 / A-S. Camp (27) / 2016-19

24/01/2019

सेवा में,

उप सचिव,

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग,

प्रधानमन्त्रालय ।

विषय : बोर्ड अधिष्ठान में सृजित समूह-"ख" के वेतन बैंड-3 (रूपये 15600-39100) ग्रेड पे रू0 5400/- वेतन मैट्रिक्स की लेवल-10 के सीधी भर्ती के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-108/16/08/डी.आर./एस-10/2016-17, दिनांक 03.05.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बोर्ड अधिष्ठान में सृजित समूह-"ख" के सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की परिधि में लाये जाने के प्रस्ताव पर शासन से सहमति प्राप्त कर, संशोधित प्रस्ताव एवं संगत सेवा नियमावली में यथापेक्षित संशोधन के लिए नियमावली का आलेख्य सहमति हेतु उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

यहां यह अवगत कराना है कि पर्यावरण अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 07 अगस्त, 2018 (संलग्नक-1) द्वारा बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह-"ख" के समस्त पदों-सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी की सीधी भर्ती की समस्त उपलब्ध रिक्तियों/भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 का परीक्षण करने के उपरान्त यदि उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहमत है, तो ऐसे समस्त पदों पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग से कराये जाने के संबंध में सैद्धान्तिक अनापत्ति प्रदान की गई है।

पर्यावरण अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त सैद्धान्तिक अनापत्ति के क्रम में बोर्ड की 102वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-102.08 पर बोर्ड अधिष्ठान में समूह-"ख" के सीधी भर्ती के

... 2/

समस्त पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के माध्यम से भरे जाने हेतु बोर्ड की प्रख्यापित से विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में सृजित सीधी भर्ती के समूह—“ख” के समस्त पदों—सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के माध्यम से भर्ती हेतु बोर्ड के सेवा विनियमावली, 1995 के माग-सॉब-भर्ती की प्रक्रिया के रिक्तियों का अवधारण संबंधी विनियम-13 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड में उल्लिखित संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था:-

स्तम्भ-1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ-2 प्रस्तावित खण्ड
नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेंगी और समूह "ग" और "घ" के पदों के मामले में रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेंगी।	नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। समूह—“ख” की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद एवं समूह “ग” के सीधी भर्ती के पदों के मामले में रिक्तियां उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को अधिसूचित की जायेंगी तथा समूह—“घ” के सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेंगी एवं सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेगी।

(3)

बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।। उक्त के संबंध में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव एवं उस पर लिये गये निर्णय की सत्यापित प्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।

यहां यह भी संज्ञान में लाना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा बोर्ड के जनहित संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों के समयबद्ध निष्पादन के दृष्टिगत बोर्ड में कार्मिकों की कमी का उल्लेख करते हुए यथाशीघ्र बोर्ड के सुदृढीकरण करने के आदेश दिनांक 13.07.2017 को पारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मा0 विभिन्न न्यायालयों एवं कार्यालय, महालेखाकार, भारत सरकार द्वारा भी पर्यावरण संबंधी विभिन्न कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु बोर्ड में रिक्त पदों पर शीघ्र भ्रमण प्रक्रिया पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

बोर्ड अधिष्ठान में वर्तमान में सहायक पर्यावरण अभियन्ता के सीधी भर्ती के कुल 08 पद (सामान्य-06, अनुसूचित जाति-01 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-01) तथा जन सम्पर्क अधिकारी का सामान्य श्रेणी का 01 पद रिक्त हैं। उक्त पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड की प्रख्यापित "उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली, 1995" के परिशिष्ट के क्रमांक-9 में शैक्षिक अर्हता, आयु सीमा, भर्ती का स्रोत एवं नियुक्ति प्राधिकारी का विवरण उल्लिखित है। उक्त विनियमावली की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।

अतः वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि बोर्ड अधिष्ठान में समूह-"ख" के वेतन बैंड-3 (रूपया 15600-39100) ग्रेड पे रूपया 5400/- (वेतन गैट्रिक्स की लेवल-10) के सीधी भर्ती के समस्त पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की परिधि से आश्रयित कराते हुए, सहायक पर्यावरण अभियन्ता के रिक्त 08 पद (सामान्य-06, अनुसूचित जाति-01 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-01) तथा जन सम्पर्क अधिकारी के सामान्य श्रेणी के रिक्त 01 पद पर यथाशीघ्र भ्रमण की कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

(21)

G 23183 / A.S. Camp / 27/2016

7.11.2016

सेवा में,

सचिव,

उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,

पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक,

विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ।

विषय : बोर्ड अधिष्ठान में सृजित समूह-"ग" के वेतन बैण्ड-1 (रूपये 5200-20200) ग्रेड पे रू० 1900/- एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू० 4600/- से कम के सीधी भर्ती के समस्त पदों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या-जी22251/ए.एस.कैम्प/27/2016, दिनांक 29.04.2016 एवं पत्र संख्या जी० 22792/ए.एस.कैम्प-27/2016 दिनांक 03.08.16 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के परिप्रेक्ष्य में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह-"ग" के वेतन बैण्ड-1 (रूपये 5200-20200) ग्रेड पे रू० 1900/- एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैण्ड-2 (रूपये 9300-34800) ग्रेड पे रू० 4600/- से कम के सीधी भर्ती के लेखाकार/लेखापरीक्षक, अवर अभियंता, विधि सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष, आशुलिपिक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के पदों पर भर्ती हेतु अध्याचन (निर्धारित प्रारूप पर) पृथक-पृथक (अपेक्षित प्रपत्रों सहित) पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु यथाशीघ्र अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर बोर्ड को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(एस० सी० यादव)
सदस्य सचिव

2261/19
8/3/19

पत्रांक 840

दिनांक 9-5-19 एम एस कैम्प/20 प्राथमिकता

संख्या 80 /319/चार/309/2018

प्रबन्धक,

परीक्षा नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, विभूति खंड, गोमती नगर,
लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार
कैम्प संख्या 8-5-19
पत्रांक 840/319/चार/309/2018
दिनांक 9-5-19

सेवा में,

- | | |
|---|--|
| 1. विशेष सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग-5,
उत्तर प्रदेश शासन। | 2. आवास आयुक्त,
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्,
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ। |
| 3. निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | 4. निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। |
| 5. सदस्य सचिव,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
उत्तर प्रदेश | 6. निदेशक,
राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
| 7. निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | |

परीक्षा अनुभाग- 2

लखनऊ: दिनांक 07 मई, 2019

विषय: विज्ञापन संख्या- 04- परीक्षा/2018 के अंतर्गत विज्ञापित अवर अभियंता पद हेतु अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) तथा ट्रेड की स्थिति

0(A) (AMM)
महोदय,

स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत करना है कि आपके द्वारा अवर अभियंता के रिक्त पदों का अध्याचन संगत सेवा नियमावली संलग्न करते हुए आयोग को करवाया गया था। उक्त प्राप्त अध्याचन तथा सेवा नियमावली में विहित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) का यथावत उल्लेख करते हुए अध्याचित पदनाम से अवर अभियंता के विभिन्न पदों को आयोग के विज्ञापन संख्या-04- परीक्षा/2018 के अंतर्गत विज्ञापित किया गया है।

उक्तानुसार अध्याचित पदनाम से विज्ञापित किये गए अवर अभियंता के पदों के सम्बन्ध में सेवानियमावली में विहित एवं तदनुसार विज्ञापित अर्हताओं का उल्लेख नीचे सारणी के स्तम्भ-4 में किया जा रहा है। स्तम्भ-4 में उल्लिखित अर्हता के सम्बन्ध में स्तम्भ-5 में पदनाम व अनिवार्य अर्हता शैक्षिक के परिप्रेक्ष्य में की गयी जिज्ञासा का समाधान किया जाना आवश्यक है-

क्र०सं०	विभाग का नाम	पद नाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)	टिप्पणी
स्तंभ-1	स्तंभ-2	स्तंभ-3	स्तंभ-4	स्तंभ-5
1.	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग-5, उ० प्र० विकास प्राधिकरण केंद्रीय सेवा	अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिक)	राज्य सरकार या प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा।	1. स्तम्भ-3 में अंकित पदनाम अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि उक्त पद का नाम अवर अभियंता (विद्युत तथा यांत्रिक) है अथवा अवर अभियंता (विद्युत) या अवर अभियंता (यांत्रिक) है। 2. स्तम्भ-4 में अंकित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु दोनों ट्रेड अर्थात् विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा धारित करना होगा अथवा विद्युत या यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु पात्र होंगे। 3. यह भी स्पष्ट किया जाना है कि यदि पदनाम अवर अभियंता (विद्युत) है तब इस पद हेतु यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी तथा यदि पदनाम अवर अभियंता (यांत्रिक) है तब इस पद हेतु विद्युत

AO
10-05-19.

			अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे अथवा नहीं।
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ	अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिक)	No person shall be required to the service unless he (i) has obtained Diploma in Civil Engineering/ Electrical Engineering/ Mechanical Engineering recognized by the Board or any other Qualification recognized as equivalent thereto by the Board; and (ii) Has working knowledge of Hindi.	1. स्तम्भ-3 में अंकित पदनाम अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि उक्त पद का नाम अवर अभियंता (विद्युत तथा यांत्रिक) है अथवा अवर अभियंता (विद्युत) या अवर अभियंता (यांत्रिक) है। 2. स्तम्भ-4 में अंकित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु तीनों ट्रेड अर्थात् सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा धारित करना होगा अथवा सिविल, विद्युत या यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु पात्र होंगे। 3. यह भी स्पष्ट किया जाना है कि यदि पदनाम अवर अभियंता (विद्युत) है तब इस पद हेतु यांत्रिक व सिविल अभियंत्रण में से कोई एक डिप्लोमाधारी तथा यदि पदनाम अवर अभियंता (यांत्रिक) है तब इस पद हेतु विद्युत व सिविल अभियंत्रण में से कोई एक डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे अथवा नहीं।
	अवर अभियंता (सिविल)	No person shall be required to the service unless he (i) has obtained Diploma in Civil Engineering/ Electrical Engineering/ Mechanical Engineering recognized by the Board or any other Qualification recognized as equivalent thereto by the Board; and (ii) Has working knowledge of Hindi.	1. स्तम्भ-4 में अंकित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि अभ्यर्थी को अवर अभियंता (सिविल) पद हेतु तीनों ट्रेड अर्थात् सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा धारित करना होगा अथवा सिविल, विद्युत या यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु पात्र होंगे।
निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	अवर अभियंता (जलकला)	किसी मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थान से विद्युत/यांत्रिक में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।	1. स्तम्भ-4 में अंकित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि अभ्यर्थी को अवर अभियंता (जलकला) पद हेतु दोनों ट्रेड अर्थात् विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा धारित करना होगा अथवा विद्युत या यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु पात्र होंगे।
	अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिक)	राज्य सरकार अथवा राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्, स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल इंजीनियरिंग त्रिवर्षीय विद्युत/यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	1. स्तम्भ-3 में अंकित पदनाम अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि उक्त पद का नाम अवर अभियंता (विद्युत तथा यांत्रिक) है अथवा अवर अभियंता (विद्युत) या अवर अभियंता (यांत्रिक) है। 2. स्तम्भ-4 में अंकित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु दोनों ट्रेड अर्थात् विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा धारित करना होगा अथवा विद्युत या यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु पात्र होंगे। 3. यह भी स्पष्ट किया जाना है कि यदि उक्त पदनाम अवर अभियंता (विद्युत) है तब इस पद हेतु यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी तथा यदि पदनाम अवर

				अभियंता (यांत्रिक) है तब इस पद हेतु विद्युत/अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे अथवा नहीं।
4.	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।	अवर अभियंता (विद्युत)	(1) प्राविधिक शिक्षा परिपद, उत्तर प्रदेश से इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रोनिक्स/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा होना आवश्यक है। (2) उन व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा जो इलेक्ट्रोनिक युटियों और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मरम्मत करने का व्यावहारिक ज्ञान रखते हों।	1. स्तम्भ-4 में अंकित अनिवार्य अर्हता (रीडिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु तीनों ट्रेड अर्थात् विद्युत, इलेक्ट्रोनिक्स एवं यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा धारित करना होगा अथवा विद्युत, इलेक्ट्रोनिक्स या यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु पात्र होंगे।
5.	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	अवर अभियंता	जनस्वास्थ्य/ सिविल/ रसायन/ पर्यावरण में तीन वर्ष का अभियांत्रिकी डिप्लोमा।	1. पद की ट्रेड का चिन्हकन नहीं किया गया है। 2. स्तम्भ-4 में अंकित अनिवार्य अर्हता (रीडिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु चारों ट्रेड अर्थात् जनस्वास्थ्य, सिविल, रसायन एवं पर्यावरण अभियंत्रण में डिप्लोमा धारित करना होगा अथवा जनस्वास्थ्य, सिविल, रसायन एवं पर्यावरण अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु पात्र होंगे। 3. यह भी स्पष्ट किया जाना है कि यदि पदनाम अवर अभियंता (जनस्वास्थ्य) है तब इस पद हेतु सिविल, रसायन तथा पर्यावरण अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे अथवा नहीं। यदि पदनाम अवर अभियंता (सिविल) है तब इस पद हेतु जनस्वास्थ्य, रसायन तथा पर्यावरण अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे अथवा नहीं। यदि पदनाम अवर अभियंता (रसायन) है तब इस पद हेतु सिविल, जनस्वास्थ्य तथा पर्यावरण अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे अथवा नहीं। यदि पदनाम अवर अभियंता (पर्यावरण) है तब इस पद हेतु सिविल, रसायन तथा जनस्वास्थ्य अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे अथवा नहीं।
6.	राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिपद, उत्तर प्रदेश।	अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिक)	(1) माध्यमिक शिक्षा परिपद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। (2) प्राविधिक शिक्षा परिपद उत्तर प्रदेश से विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है।	1. स्तम्भ-3 में अंकित पदनाम अवर अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि उक्त पद का नाम अवर अभियंता (विद्युत तथा यांत्रिक) है अथवा अवर अभियंता (विद्युत) या अवर अभियंता (यांत्रिक) है। 2. स्तम्भ-4 में अंकित अनिवार्य अर्हता (रीडिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि क्या इस पद हेतु मात्र विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमाधारक ही पात्र समझे जायेंगे। 3. क्या पद का नाम अवर अभियंता (यांत्रिक) होने की स्थिति में भी यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी इस पद हेतु योग्य नहीं समझे जायेंगे।
7.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	विद्युत एवं यांत्रिक फोरमैन, वर्ग-1	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत/ यांत्रिकी / रिनिजेशन अभियांत्रिकी में त्रिवर्षीय डिप्लोमा और संयंत्र प्रचालन या सम्बद्ध व्यवसाय में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव।	1. स्तम्भ-3 में अंकित पदनाम अवर अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक फोरमैन, वर्ग-1) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि उक्त पद का नाम अवर अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक फोरमैन, वर्ग-1) है अथवा अवर अभियंता (विद्युत) या अवर अभियंता (फोरमैन, वर्ग-1) है।

			<p>यांत्रिकी व्यवसाय में आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र और 01 वर्ष का अनुभव।</p> <p>2. स्तम्भ-4 में अंकित अर्जित अर्हता (शैक्षिक) के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु तीनो ट्रेड अर्थात विद्युत, यांत्रिक एवं रेफ्रिजेशन अभियंत्रण में डिप्लोमा धारित करना होगा अथवा विद्युत, यांत्रिक तथा रेफ्रिजेशन अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु पात्र होंगे। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया जाना है कि क्या उक्त अर्हता के साथ-साथ यांत्रिकी व्यवसाय में आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र और 01 वर्ष का अनुभव भी अभ्यर्थी को धारित करना होगा अथवा नहीं।</p> <p>3. यह भी स्पष्ट किया जाना है कि यदि पदनाम अवर अभियंता (विद्युत) है तब इस पद हेतु यांत्रिक एवं रेफ्रिजेशन अभियंत्रण अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी तथा यदि पदनाम अवर अभियंता (फॉर्मिन, वर्ग-1) है तब इस पद हेतु विद्युत, यांत्रिक तथा रेफ्रिजेशन अभियंत्रण में से किसी एक ट्रेड में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी पात्र होंगे अथवा नहीं।</p> <p>4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाना है कि क्या मात्र यांत्रिक व्यवसाय में आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्र और 01 वर्ष का अनुभव धारक अभ्यर्थी भी इस पद हेतु पात्र होंगे? क्या ऐसे अभ्यर्थियों को डिप्लोमा धारित करने की आवश्यकता नहीं है?</p>
--	--	--	--

अतः उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए, वांछित अभिमत आयोग को कृपया एक सप्ताह के पलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि आयोग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र की जा सके।

भवदीय,


(बिपिन कुमार मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक।

4185-13
21/10/20

पत्र 300 गुणक अधिनियम (प्रशासक)/2020
दिनांक 22.10.2020

दिनांक 16/11/2015 एम एस कैम्प/20
दिनांक 22/10/20

संख्या-187/612/चार/509/2018

प्रमाण,

सचिव,
उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

परीक्षा-अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2020

विषय:-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020 के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना करते हुए आयोग के नवीन प्रारूप पर संशोधित अधियाचन उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

कृपया अपने विभाग में रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग को प्रेषित निम्न विवरण के अनुसार अधियाचन सम्बन्धी पत्र/पत्रों का संदर्भ लेने का कष्ट करें-

क्रम सं०	पत्र संख्या	दिनांक	पदनाम	अधियाचित रिक्त पदों की संख्या
1.	G-3211/के0एस0 कैम्प-27/2019-20	27.01.2020	आशुलिपिक	24
2.	G-31560/के0एस0 कैम्प-27(व)/16-19	22.11.2019	लेखाकार/लेखा परीक्षक	15
3.	G-26791/ए0एस0 कैम्प-27/16-18	15.03.2018	पुस्तकालयाध्यक्ष	01
4.	G-31237/ए0एस0 कैम्प-27/2019	15.10.2019	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए	05
5.	G-26791/ए0एस0 कैम्प-27/16-18	15.03.2018	विधिक सहायक	05

2. इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के विधायी अनुभाग-1 के अधिनियम संख्या-1577/79-वि0-1-20-1(क)-4-20 दिनांक 31 अगस्त, 2020 उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020 (प्रतिलिपि संलग्नक-1) अवलोकनीय है, जिसमें निम्न व्यवस्था की गई है-

उक्त अधिनियम की धारा 1-(2) में निम्नवत प्राविधान किया गया है-

1-(2) यह दिनांक 1 फरवरी, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 13-(1) में निम्नवत प्राविधान किया गया है-

AD
22-10-2020
CEO (Admin)
21/10/20

13-(1) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे, जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व आरम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले, विधि के उपबन्धों और शासनादेशों के अनुसार, जैसा कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण—जहाँ सुसंगत सेवानियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार—

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ स्थिति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर, या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हो, वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर इस धारा के प्रयोजनों के लिए चयन प्रक्रिया आरम्भ हुई समझी जायेगी।

3. आपको यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-3 के पत्र संख्या-1602/47-का-3-2019-13/17/2006 दिनांक 28 जनवरी, 2020 (प्रतिलिपि संलग्नक-2) में दिये गये निदेशानुसार आयोग द्वारा अधियाचन का नवीन प्रारूप जारी किया गया है।

4. उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019 टी.सी.-1 दिनांक 13 अगस्त, 2019 द्वारा 100 बिन्दुओं का रोस्टर निर्गत करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण से सम्बन्धित जिससे कि रोस्टर व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2 दिनांक 25.06.2002 को कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के अनुक्रम में संशोधित करते हुए आरक्षण को लागू करने के लिए रोस्टर प्रणाली लागू की गई है।

5. उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-1 दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 के प्रस्तर-5 में विहित व्यवस्था के अनुसार "यदि किसी चयन वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चिन्हांकित पदों की रिक्तियों के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उक्त रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष में बैकलॉग के रूप में अग्रणीत नहीं किया जायेगा और उक्त रिक्त को अनारक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा"।

6. आपके विभाग से प्राप्त विभिन्न रिक्त पदों के अधियाचन उक्त प्रस्तर-2, 3, 4 व 5 में उल्लिखित शासनादेशों के अनुरूप नहीं है तथा उनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की स्थिति का सुस्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

7. अतः प्रस्तर-4 में दिये गये विवरण के अनुसार आयोग में प्राप्त अधियाचन/अधियाचनों को मूल रूप में वापस करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कृपया उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019 टी.सी.-1 दिनांक 13 अगस्त, 2019 के प्रस्तर-2 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रदेश में लागू रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षण की गणना को पुनरीक्षित करते हुये कार्मिक अनुभाग-2 के उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 में बैकलॉग के सम्बन्ध में विहित व्यवस्था के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-3 के पत्र संख्या-1602/47-का-3-2019-13/17/2006 दिनांक 28 जनवरी, 2020 में दिये गये नवीन प्रारूप पर

आयोग अलग प्रदनाम के रिक्त पदों का संशोधित अधियाचन दो प्रतियों में [सभी 24 बिन्दुओं की स्पष्ट शर्तों का उल्लेख करते हुए व अधियाचन के प्रत्येक पृष्ठ पर नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा विभाग का दूरभाष नम्बर, ई-मेल व पत्राचार का वर्तमान पता आदि के विवरण सहित] पद की संगत शैलानियमावली (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की सुस्पष्ट एवं पठनीय प्रति सहित, आयोग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आयोग स्तर से निर्गत किये जाने वाले विज्ञापन में इन पदों से संबंधित विवरण का सही-सही उल्लेख किया जा सके ।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)

संचिव।

150/211
327
21/01/21

संख्या-796/81-6-2020

ANNEXURE NO.-7

प्रेषक,

गौरव वर्मा,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6

लखनऊ:दिनांक : 19 जनवरी, 2021

विषय:- कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13 अगस्त, 2019 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रशा०), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या-जी33945/ए०एस०कैम्प(27)/2020, दिनांक 20-10-2020 एवं तत्कम में प्रेषित अपने पत्र संख्या-जी34135/ए०एस०कैम्प-27/2020, दिनांक 11-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ०प्र० लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (यथासंशोधित) के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों को राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर कमशः 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है। उक्त आरक्षण संवर्ग संख्या पर प्रभावी है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि आरक्षित रिक्तियों की गणना करते समय केवल पूर्णाकों को ही संज्ञान में लिया जायेगा, भिन्न (Fraction) को नजरअंदाज (Ignore) किया जायेगा।

इसी प्रकार उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों (समूह-ग एवं घ के पदों पर) को कमशः 04 प्रतिशत, 02 प्रतिशत एवं 05 प्रतिशत क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 26-02-1999 के माध्यम से महिलाओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण रिक्तियों पर आधारित है।

यह भी उल्लेख करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है तथा उ०प्र० राज्य के मूल निवासी हैं, को राज्याधीन सेवाओं और पदों पर 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 31-08-2020 निर्गत की गयी है।

-2-

प्रकरण में यह भी स्पष्ट करना है कि यदि रोस्टर एवं प्रतिशत में किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में आरक्षण प्रतिशत प्रभावी होगा। जैसा कि सिविल अपील संख्या-2903/2001 आर0एस0गर्ग बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय की पाँच जजों की पीठ के आदेश दिनांक 27-07-2006 के पैरा-40 में प्रतिपादित किया गया है।

जहाँ तक कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13-08-2019 न्यूनतम कितने पदों पर लागू होगा, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्मिक विभाग द्वारा सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 100 बिन्दुओं का आरक्षण रोस्टर कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 13-08-2019 निर्गत किया गया है, जिसकी व्यवस्था स्वतः स्पष्ट है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त व्यवस्था के आलोक में परीक्षण कर, आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-647/55-343(पया)/2010

प्रेषक,

श्री दिनेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सदस्य सचिव,
उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

पर्यावरण अनुभाग

लखनऊ :

दिनांक 23 मार्च, 2011

विषय:- चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के संबंध में।
महोदय,


उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं०-जीओ-9666/ए०एस०केम्प/196/9-10/08, दिनांक 12-11-2011 का संदर्भ में मुझे आपको वित्त विभाग के शासनादेश सं०-वे०आ०-2-3263/दस-59 (एम०)/08 टी०सी० दिनांक 12-1-11 की प्रति भेजते हुये यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश की व्यवस्था अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

(दिनेश कुमार)
संयुक्त सचिव

30(100)



7
4.2011

288
18/4/11

ESD (Admin)
44

संख्या-वे0आ0-2-3263/दस-59(एम)/2008 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 12 जनवरी 2011

विषय:- पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में संशोधन।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य करायें जाने के सम्बन्ध में संकल्प संख्या-वे0आ0-2-252/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 08 फरवरी 2009 भाग-2 द्वारा निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अन्वयेन हेतु स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों के लिये विभागीय आदेश निर्गत किये गये हैं। उपर्युक्त के क्रम में वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं :-

(i) राज्य के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 6500-10500 को दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैंड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 के स्थान पर वेतन बैंड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 दिनांक 01 जनवरी 2006 से स्वीकृत किया जाय।

(ii) स्वशासी संस्थाओं के समूह-घ के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैंड-1 एस रू0 4440-7440 एवं ग्रेड वेतन रू0 1300, रू0 1400 एवं रू0 1650 के स्थान पर संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैंड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800 दिनांक 01 जनवरी 2006 से काल्पनिक रूप से अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ तात्कालिक प्रभाव (दिनांक 08 सितम्बर 2010) से पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराया जाय। यह भी निर्णय लिखा गया है कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों को छोड़कर) नियुक्ति नहीं की जायेगी।

तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों के सम्बन्ध में यथावश्यकता केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी।

परन्तु उक्त व्यवस्था, उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अन्तर्गत समूह-“घ” के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे यह अनुरोध करने की मुझसे अपेक्षा की गयी आपके विभाग के अन्तर्गत विद्यमान स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों को निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित शासनादेश वित्त विभाग की से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

वे0आ0-2 (1) / दस-59(एम) / 2008, ~~सद दिनंक।~~

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
उत्प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
कार्मिक नियमावली सेल।
गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 40696/ए0एस0कैम्प/2023

संख्या 433/81-6-2023

दिनांक: 11-5-23
Date: 11-5-23

सेवा में,

विशेष सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

विषय: उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह-‘ख’ एवं ‘ग’ के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को उ0प्र0 विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने के संबंध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-63(1)/81-6-2023, दिनांक 19.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि :-

1- बोर्ड में समूह-‘ख’ के सीधी भर्ती के वर्तमान में रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र 0स 0	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	वेतनमान, ग्रेड वेतन/वेतन मैट्रिक्स लेवल	शैक्षिक अर्हताएँ
1.	सहायक पर्यावरण अभियन्ता	27	रू0 15600-39100 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5400 (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-10)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन /अभियांत्रिकी/रसायन प्रौद्योगिकी/सिविल अभियांत्रिकी /पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
2.	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	11	रू0 15600-39100 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5400 (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-10)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र/ जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जैव रसायनिकी में डाक्टरेट उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता के साथ पर्यावरण/प्रदूषण नियंत्रण/जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र/ जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/जैव रसायनिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता के साथ पर्यावरण/प्रदूषण नियंत्रण/जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव।
3.	जन सम्पर्क अधिकारी (बोर्ड द्वारा आस्थगित)	01	रू0 15600-39100 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5400 (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-10)	(1)भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (2)पत्रकारिता/पुस्तकालय विज्ञान में किसी उपाधि या डिप्लोमा के साथ संबंधित क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव।
योग		39		

टी0सी0- 12वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेब साइट : www.uppcb.com

शुभ
- श्री कलश
15/5/23

T.C. - 12 V Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226010
Phone : 0522 - 2720828, 2720831
Fax : 0522 - 2720764, 2720676
E- Mail : info@uppcb.in
Web Site : www.uppcb.com

-2-

बोर्ड द्वारा समूह-‘ख’ के वेतन बैंड-3, रू0 15600-39100 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5400 सीधी भर्ती के सीधी भर्ती के समस्त उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही करायी जाने के संबंध में प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु मा0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित पत्र दिनांक-29.04.2016, 24.01.2019 एवं उक्त के संबंध में मा0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त पत्र दिनांक-03.05.2017, 17.06.2019 एवं 07.11.2019 तथा बोर्ड की प्रख्यापित “उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् सेवा विनियमावली, 1995” की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। मा0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की अपेक्षा अनुसार शासन के माध्यम से नियमानुसार नियमावली के आलेख्य नियमावली सेल से विधीकृत कराये जाने की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, जिसमें अत्याधिक समय लगने की संभावना है।

2- बोर्ड अधिष्ठान में समूह-‘ग’ के सीधी भर्ती के उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को अधियाचित/रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	पदनाम	अधियाचित / रिक्त पदों की संख्या	वेतनमान, ग्रेड वेतन/वेतन मैट्रिक्स लेवल	शैक्षिक अर्हतायें
1.	वैज्ञानिक सहायक	05	रू0 9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200 (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-6)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/रसायन शास्त्र/जैव रसायनिकी/पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
2.	प्रयोगशाला सहायक	01	रू0 5200-20200 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 1900 (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-2)	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा।
3.	अनुश्रवण सहायक	27	रू0 5200-20200 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 1900 (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-2)	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा।
4.	लेखाकार/लेखा परीक्षक	21	रू0 9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200 (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-6)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी एक विषय के रूप में लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (2) किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संगठन में लेखा कर्म के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।
5.	विधि सहायक	05	रू0 9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200 (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-6)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (दो) एडवोकेट/वकील/बैरिस्टर/एटोर्नी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।
6.	अवर अभियन्ता	43+18	रू0 9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200 (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-6)	जनस्वास्थ्य/सिविल/ रसायन/पर्यावरण अभियांत्रिकी में डिप्लोमा

7.	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	रू0 9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200 (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-6)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (दो) पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा।
8.	आशुलिपिक	27	रू0 9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200 (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-6)	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा। (2) हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की और हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति। (3) अंग्रेजी आशुलिपि में 60 शब्द प्रति मिनट की और अंग्रेजी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति।
9.	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी	03	रू0 5200-20200 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 2800 (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-5)	(1) मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ स्नातक उपाधि या डी0ओ0ई0 से 'ओ' स्तर के प्रमाण सहित स्नातक उपाधि। (2) डॉस/यूनिक्स/विन्डोज के अंतर्गत कार्यरत वातावरण में एम0एस0 आफिस/लोटस/स्मार्ट सूट आदि जैसे भिन्न-भिन्न साफ्टवेयरों पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में डाटा इन्ट्री का अच्छा ज्ञान। (3) नोवल और विन्डो एन0टी0 जैसे नेट वर्किंग वातावरण का एक्सपोजर। (4) हिन्दी तथा अंग्रेजी में कम से कम कमशः 25 शब्द तथा 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।
10.	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए	05	रू0 5200-20200 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 2400 (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-4)	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा के साथ मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डी0ई0ओ0 से 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र। (2) डॉस/यूनिक्स/ विन्डोज के अंतर्गत कार्यरत वातावरण में एम0एस0 आफिस/ लोटस/स्मार्ट सूट आदि जैसे भिन्न-भिन्न साफ्टवेयरों पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में डाटा एन्ट्री का अच्छा ज्ञान (3) नोवल और विन्डो एन्ट्री जैसे नेट वर्किंग वातावरण का एक्सपोजर।
11.	रिसेप्शनिस्ट /स्वागती	01	रू0 9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200 (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-6)	बोर्ड की सेवा विनियमावली, 1995 में रिसेप्शनिस्ट/स्वागती के पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता में संशोधन संबंधी कार्यवाही शासन में विचाराधीन है।

12.	कनिष्ठ सहायक	21	रू0 5200-20200 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 2000 (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-3)	इण्टरमीडिएट के साथ-साथ कम्प्यूटर संचालन का डायक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र अथवा "सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण-पत्र" तथा हिन्दी/ अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।
13.	वाहन चालक, ग्रेड-4	06	रू0 5200-20200 सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 1900 (वेतन मैट्रिक्स की लेवल-2)	(1) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और: (2) यथा स्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स संबंधित रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से 03 वर्ष से अनन्यून अवधि का रखता हो।
योग		184		

समूह-ग के उपरोक्त पदों में से अवर अभियन्ता के 43 पदों को उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा विज्ञापित कराकर परीक्षा संपन्न कराई जा चुकी है, जिसका अंतिम परिणाम जारी किया जाना है। उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के पत्र दिनांक-18.08.2022, 17.09.2022, 06.01.2023 एवं 10.04.2023 की अपेक्षा के क्रम में बोर्ड द्वारा आयोग को उपलब्ध कराये गये विभिन्न पदों के संशोधित अधियाचनों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पदनाम	अधियाचित पदों की संख्या	पत्र संख्या एवं दिनांक
1.	लेखाकार/लेखा परीक्षक	21	सं0-जी40480/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2023, दि0 10.04.2023
2.	आशुलिपिक	27	सं0-जी40485/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2023, दि0 10.04.2023
3.	अनुश्रवण सहायक	26	सं0-जी40484/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2023, दि0 10.04.2023
4.	प्रयोगशाला सहायक	01	सं0-जी40483/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2023, दि0 10.04.2023
5.	कनिष्ठ सहायक	21	सं0-जी40479/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2023, दि0 10.04.2023
6.	विधि सहायक	05	सं0-जी40482/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2023, दि0 10.04.2023
7.	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	सं0-जी40481/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2023, दि0 10.04.2023
8.	वैज्ञानिक सहायक	05	सं0-जी40478/ए0एस0कैम्प-27(ब)/2023, दि0 10.04.2023
	योग -	107	

उपरोक्त आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,



(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या:
Ref No: 41693 / ए0एस0कैम्प / 2023,

दिनांक:
Date: 27/09/2023

सेवा में,

विशेष सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

संख्या 999 / 81-6-2022

विषय: उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह-‘ख’ एवं ‘ग’ के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को उ0प्र0 विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने के संबंध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या-जी39952/ए0एस0कैम्प/2023, दिनांक-12.01.2023 एवं पत्र संख्या-जी40696/ए0एस0कैम्प/2023, दिनांक-11.05.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के माध्यम से बोर्ड अधिष्ठान में समूह-‘ख’ एवं ‘ग’ के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती/चयन कराये जाने के उद्देश्य से ‘उ0प्र0 विद्युत सेवा आयोग’ के माध्यम से चयन संबंधी कार्यवाही किये जाने के लिये शासन स्तर से विचार करते हुये, तदनुसार अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन से अनुरोध किये जाने की अपेक्षा की गई थी।

पुनः अनुरोध है कि समय-समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, मा0 विशेष न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मा0 विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन एवं बोर्ड कार्यों के सुचारु निष्पादन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकता के दृष्टिगत बोर्ड में समूह-‘ख’ एवं ‘ग’ के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती/चयन ‘उ0प्र0 विद्युत सेवा आयोग’ के माध्यम से कराये जाने के संबंध में यथाशीघ्र अग्रिम कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

संख्या-489/81-6-2024(1755422)

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

सदस्य सचिव,

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

गोमती नगर, लखनऊ ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग

लखनऊ: 01 अप्रैल, 2024

विषय:- 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह 'ख' एवं 'ग' के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-जी 40696/ए0एस0 कैम्प/2023, दिनांक 11-05-2023, पत्रांक-जी 41693/ए0एस0 कैम्प/2023, दिनांक 27-09-2023 एवं पत्रांक-जी 41884/ए0एस0 कैम्प/2023, दिनांक 03-11-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह 'ख' ग्रेड वेतन 5400 के सीधी भर्ती के समस्त रिक्त पदों को 30प्र0 लोक सेवा आयोग एवं बोर्ड में समूह 'ग' ग्रेड वेतन रू0 1900 एवं इससे अधिक किंतु ग्रेड वेतन 4600 से कम के समस्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-91/2814/47-का-3-14-13/7/ 2006, दिनांक 15 दिसम्बर 2014 एवं विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1529/79-वि-1-14-1(क)-10-2014, दिनांक 04 दिसम्बर 2014 के अनुसार 30प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयन कराये जाने के संबंध में तत्काल नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by रवि

शंकर मिश्र

(रवि शंकर मिश्र)

Date: 01-04-2024 13:02:01

संयुक्त सचिव

Reason: Approved